



| क्रम -सं० | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|--------------|--|---|
| | 2 | 3 |
| | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>हरि राम, पिता-स्व० रुदन राम, ग्राम-खपरियावां, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावां, थाना नं०-119, खाता संख्या-118, प्लॉट संख्या-1429, रकवा-06 डी० भूमि मन्दु कुमार, पिता लखन टाकुर, निवास स्थान-पेलावल, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-603/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-3266/रा०, दिनांक-01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 1551 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत ननकु कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 36 डी० भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 36 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-119/1 पर ननकु कहार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 36 डी० है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 30 डी० भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.L.R Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।</p> | |

| देश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में हरि राम, पिता-स्व० रुदन राम, ग्राम-खपरियावां, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावां, थाना नं०-119, खाता संख्या-118, प्लॉट संख्या-1429, रकबा-06 डी० भूमि मन्दु कुमार, पिता लखन ठाकुर, निवास स्थान-पेलावल, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहत्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहत्ता, हजारीबाग।</p> | |